कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू–प्रबंध) सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश भोपाल

क्रमांक / एफ–4 / 23 / 2021 / 10–11 / 1971 भोपाल, दिनांक 16/05/23

प्रति,

वन महानिरीक्षक (एफ.सी.),
भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
इंदिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज,
जोरबाग रोड, नई दिल्ली–110003

विषयः– **Diversion of 301.96 ha forest land for the construction of MP-30 Gandhi Sagar off-stream Pumped Storage Project (1440 MW) by M/s Greenko Energies Private Limited, Hyderabad in Neemuch Forest Division, Neemuch District of Madhya Pradesh State (Online proposal No. FP/MP/HYD/116943/2020)-reg.**

संदर्भः– भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र क्रमांक 8-18/2021-FC दिनांक 01.05.2023

––0––

विषयांकित प्रकरण में भारत सरकार के उक्त संदर्भित पत्र द्वारा चाही गई 02 बिन्दुओं की जानकारी प्राप्त कर निम्नानुसार प्रेषित है :–

क्र.	चाही गई जानकारी	प्रस्तुत जानकारी
i	As per condition no. A (i) of Stage-I approval dated 24.08.2021 it has been mentioned that the Wildlife Conservation Plan shall be updated in consultation with WII and approved by CWLW. The State Government informed that the Wildlife Conservation Plan as approved by CWLW vide their letter dated 21.06.2021 (which FAC has also considered) has been updated in consultation with WII, Dehradun. However thereafter the approval of CWLW on said Wildlife Conservation Plan has not been obtained.	इस प्रस्ताव में मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक द्वारा रू. 166.90 लाख की वन्यप्राणी योजना स्वीकृत की थी। इस वन्यप्राणी योजना को अपग्रेड करने के लिये भारतीय वन्यप्राणी संस्थान, देहरादून को भेजा गया था। भारतीय वन्यप्राणी संस्थान, देहरादून द्वारा क्षेत्र का अध्ययन कर प्रस्तुत वन्यप्राणी प्रबंधन योजना में रू. 1.00 करोड़ के कार्य प्रस्तावित किये हैं। मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक, मध्यप्रदेश तथा भारतीय वन्यप्राणी संस्थान, देहरादून द्वारा प्रस्तुत वन्यप्राणी योजना में कुछ कार्य एक समान है। अतः भारतीय वन्यप्राणी संस्थान, देहरादून द्वारा प्रस्तुत वन्यप्राणी प्रबंधन योजना को मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक, मध्यप्रदेश को प्रस्तुत किया गया था। मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक, मध्यप्रदेश द्वारा रू. 211.90 लाख की योजना का अनुमोदन किया है। इस संबंध में मुख्य वन्यप्राणी की टीप की प्रति संलग्न है। आवेदक संस्था ने वन्यप्राणी प्रबंधन योजना में रू. 170.50 लाख की राशि पोर्टल के माध्यम से भुगतान कर दी थी। आवेदक द्वारा रू. 211.90 लाख में से शेष राशि रू. 41.40 लाख का भुगतान पोर्टल के माध्यम से किया गया है। चालान की प्रति संलग्न है।

ii	The Condition A(ii) of the Stage-I approval inter-alia mentions that a comprehensive plan regarding the protection, conservation and improvement of the areas surrounding the reservoir, roads and other components of the project will be prepared and implemented at the cost of the user agency. Accordingly the Ministry vide letter dated 02.03.2023 informed the State Govt. that the Financial outlay required for the protection, conservation and improvement of areas surrounding the project has not been given and same has not been deposited in the CAMPA account by the user agency and same shall be submitted as per the Condition no. A (ii) of the Stage-I approval. In compliance to condition A(ii) the State Govt has now intimated that the funds(Rs 2,82,80,740/-) for raising plantation of vulnerable species have been deposited. However, no details about the plan and funds for the protection, conservation and improvement of the areas surrounding the project i.e. the reservoir, roads and other components of the project has been provided.	इस प्रस्ताव में रिजर्ववायर बनाने के लिये 253.11 हेक्टेयर वन भूमि, 03 सड़को के निर्माण के लिये 25.61 हेक्टेयर वनभूमि तथा अन्य कार्यों के लिये 23.24 हेक्टेयर, इस प्रकार कुल 301.96 हेक्टेयर वनभूमि में से चाही गई है। इस 301.96 हेक्टेयर वनभूमि से नीमच वनमण्डल के कक्ष क्रमांक 438, 439, 440, 441, 442, 443, 445, 446 एवं 447 की 1078 हेक्टेयर वनभूमि लगी हुई है। इस 301.96 हेक्टेयर वनभूमि से संलग्न 1078 हेक्टेयर वनभूमि को 03 टुकड़ों में विभक्त कर इनके संरक्षण, संवर्धन एवं सुधार (protection, conservation and improvement) की योजना तैयार की गई है। पूर्व में केवल एक टुकड़े, जिसका रकबा 509 हेक्टेयर है, की संरक्षण, संवर्धन एवं सुधार (protection, conservation and improvement) की योजना तैयार की गई थी। इस योजना की राशि रू. 282.80 लाख की राशि भी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन जमा कराई जा चुकी है। इस योजना में प्रति हेक्टेयर 200 पौधें संकटाप्रद प्रजाति के रोपित किये जाना प्रस्तावित किया गया है। राज्य वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर द्वारा इस क्षेत्र में प्रति हेक्टेयर 50 से 100 संकटाप्रद प्रजातियों के पौधें रोपित करने की अनुशंसा की गई है। इस क्षेत्र में मिट्टी अत्यन्त कम है। अतः प्रस्तावित रिजर्ववायर की मिट्टी निकालकर इस क्षेत्र में वनस्पति में सुधार तथा रोपण कार्य किया जाना है। अब इस 509 हेक्टेयर रकबे में प्रति हेक्टेयर 100 पौधें संकटाप्रद प्रजाति के तथा 100 पौधें प्रति हेक्टेयर स्थानीय प्रजाति के रोपित किये जायेंगे। पौधों की संख्या में परिवर्तन न होने के कारण इस योजना की लागत रू. 282.80 लाख में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ है। इस प्रस्ताव में प्रस्तावित पावर हाउस से गांधी सागर जलाशय की सीमा के साथ–साथ प्रस्तावित सड़क से पठार के बीच 426 हेक्टेयर की वनभूमि है। इस वनभूमि में अधिकांश भूमि तीव्र ढलान की है। तीव्र ढलान की भूमि होने के कारण इस वनक्षेत्र में प्रति हेक्टेयर 100 से अधिक पौधें लगाये जाना सम्भव नहीं है। अतः इस क्षेत्र में प्रति हेक्टेयर 50 पौधें संकटाप्रद प्रजातियों के तथा 50 पौधें प्रति हेक्टेयर स्थानीय प्रजातियों के लगाये जायेंगे। इस 426 हेक्टेयर की संरक्षण, संवर्धन एवं सुधार (protection, conservation and improvement) की योजना रू. 1,33,18,761 तैयार की गई है। योजना की प्रति तथा तकनीकी स्वीकृति संलग्न है।

		इस प्रस्ताव में प्रस्तावित पावर हाउस से प्रस्तावित रिजर्ववायर तक प्रस्तावित सड़क के बीच 143 हेक्टेयर की वनभूमि है। इस वनभूमि में अधिकांश भूमि तीव्र ढलान की है। तीव्र ढलान की भूमि होने के कारण इस वनक्षेत्र में प्रति हेक्टेयर 100 से अधिक पौधें लगाये जाना सम्भव नहीं है। अतः इस क्षेत्र में प्रति हेक्टेयर 50 पौधें संकटाप्रद प्रजातियों के तथा 50 पौधें प्रति हेक्टेयर स्थानीय प्रजातियों के लगाये जायेंगे। इस 426 हेक्टेयर की संरक्षण, संवर्धन एवं सुधार (protection, conservation and improvement) की योजना रू. 81,32,764 तैयार की गई है। योजना की प्रति तथा तकनीकी स्वीकृति संलग्न है। आवेदक संस्था द्वारा 426 हेक्टेयर तथा 143 हेक्टेयर के दोनों टुकड़ों की संरक्षण, संवर्धन एवं सुधार (protection, conservation and improvement) की योजना की कुल राशि रू. 2,14,51,525 ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से जमा कर दी गई है। चालान की प्रति संलग्न है।

उपरोक्तानुसार प्राप्त जानकारी संलग्न प्रेषित कर निवेदन है कि प्रकरण में भारत सरकार की औपचारिक स्वीकृति जारी करने का कष्ट करें।

संलग्नः—उपरोक्तानुसार।

16/5/2023

(सुनील अग्रवाल)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

पृ. क्रमांक / एफ–4 / 23 / 2021 / 10–11 / 1972 — भोपाल, दिनांक 16/05/23

प्रतिलिपिः—

1. मुख्य वन संरक्षक, उज्जैन वृत्त, उज्जैन, मध्यप्रदेश।
2. वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वन मंडल, नीमच, मध्यप्रदेश।
3. ग्रीनको एनर्जी प्रायवेट लिमिटेड, हैदराबाद।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

16/5/2023

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

F-4/23/2021/10-11

विषयः—नीमच जिले में ग्रीनको प्रोजेक्ट के लिये 301.96 हेक्टेयर वनभूमि का प्रत्यावर्तन।

—0—

पूर्व पृष्ठ से:-

नीमच जिले में ग्रीनको प्रोजेक्ट के लिए 301.96 हेक्टेयर वनभूमि प्रत्यावर्तन संबंधी प्रकरण में परियोजना के क्रियान्वयन से वन्यप्राणियों पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव को कम करने के लिए भारत सरकार की शर्तानुसार 166.90 लाख की वन्यप्राणी संरक्षण योजना का इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/मा.चि./वसयो/जीईएन—270/4246 दिनांक 21.06.2021 से अनुमोदन किया गया था। प्रकरण में भारतीय वन्यजीव संस्था द्वारा उक्त वन्यप्राणी संरक्षण योजना में प्रस्तावित कार्यों के अतिरिक्त 04 कार्यों के लिए राशि रूपये 100.00 लाख का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित किया गया है।

इस कार्यालय के द्वारा अनुमोदित वन्यप्राणी संरक्षण योजना में प्रावधानित कार्य एवं राशि तथा भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून द्वारा सुझाये गये कार्यों में से जिन समान कार्यों के लिए प्रावधानित अधिकतम राशि को सम्मिलित करते हुए तथा जो कार्य अनुमोदित वन्यप्राणी संरक्षण योजना के अतिरिक्त कार्य सुझाये गये हैं उन्हें सम्मिलित करते हुए कुल राशि रूपये 211.90 लाख की वन्यप्राणी संरक्षण योजना का अनुमोदन किया जाता है। वन्यप्राणी संरक्षण योजना में प्रावधानित कार्यों एवं राशि का विवरण निम्नानुसार हैः—

Amended Wildlife Conservation Plan (Amount in Lakhs)

S.No.	Recommend by PCCF (WL) MP		Recommend by WII		Final Recommended Rs.
	Activity	Rs.	Activity	Rs.	
A	**Biodiversity Conservation and Management Plan**				
1	Afforestation and Enrichment along the periphery of upper reservoir in the adjoining forest area	48.40	-	-	48.40
2	Farm forestry for fuel wood and timber	3.50			3.50
3	Sowing of Grass	8.00			8.00
4	Awareness Program	4.00			4.00
5	Strengthening of Infrastructural Facilities of Forest Department	10.00			10.00
	Sub-total	73.90			73.90
B	**Conservation of Schedule-I Species**				
1	Habitat improvement by development of vegetation cover by plantation with suitable species	20.00	Restoration of degraded habitats (mainly lantana removal along the lower approach road)	15.00	30.00
2	Biological fence (e.g. Bamboo species) around the habitation and around the agriculture fields adjoining to forest area to control human wildlife conflict	10.00			

F-4/23/2021/10-11

विषयः— नीमच जिले में ग्रीन को प्रोजेक्ट के लिए 301.96 हेक्टेयर वनभूमि का प्रत्यावर्तन।

3	Construction and filling of water holes and check dams/ponds, tube wells etc	16.00	Establishment of water holes around the upper reservoir region with permanent water source	15.00	16.00
4	Support/Provision of veterinary care, cages, recuse centers, etc.	10.00	Establishment of Wild Animal Rescue and Rehabilitation Centre (it includes rescue vehicle with rescue equipment & establishment of rescue center etc.)	60.00	60.00
5	Infra-structure development (Surveillance Equipment's like Cameras, Wireless Sets, GPS, etc)	5.00			
6	Anti-Poaching measures	8.00	Capacity building programme for forest staff for handling wild animal conflict and habitat management	10.00	8.00
7	Training Programme for Techniques of faunal species Rescue	8.00			8.00
8	Prevention of Forest Fire: Training and Infrastructure facilities	6.00			6.00
C	Monitoring and Evaluation	10.00	Nil		10.00
	Grand total (A+B+C)	**166.90**		**100.00**	**211.90**

उपरोक्त अनुमोदित वन्यप्राणी संरक्षण योजना के अतिरिक्त वनमण्डलाधिकारी, नीमच द्वारा 509 हेक्टेयर वनक्षेत्र में संकटाप्रद प्रजातियों के रोपण के लिए राशि रूपये 2,82,80,740/— की तैयार की गई योजना से सहमति व्यक्त की जाती है। साथ ही जलाशय के निकट के वनक्षेत्र की फेंसिंग तथा सड़क निर्माण कार्य में अंडरपासेस का निर्माण आवेदक संस्था द्वारा स्वयं के व्यय से निर्मित किये जाने की सहमति व्यक्त की जाती है।

(जसबीर सिंह चौहान)
मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक एवं
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (व.प्रा.), म.प्र.

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू—प्रबंध), म.प्र.

U.O.NO/Pccf (BC&CWLW) 347 … DATE 12/05/2023

कार्यालय
वनमण्डलाधिकारी,
नीमच (म0प्र0)

क्रमांक / मा0चि0 / 2023 / 2964 नीमच, दिनांक 15/5/23

प्रति,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(भू–प्रबंध)
सतपुड़ा भवन, भोपाल।

विषयः–Diversion of 301.96 ha forest land for the construction of MP-30 Gandhi Sagar off-stream Pumped Storage Project (1440 MW) by M/s Greenko Energies Private Limited, Hyderabad in Neemuch Forest Division, Neemuch District of Madhya Pradesh State (Online proposal No. FP/MP/HYD/116943/2020)-reg.

संदर्भः–आपका पत्र क्रमांक / 1907 दिनांक 12.5.2023

—0—

उपरोक्त संदर्भित पत्र से आपके द्वारा इस प्रस्ताव में भारत सरकार द्वारा चाहे अनुसार रिजर्ववायर, सड़क तथा अन्य कार्यों हेतु चाही गई वनभूमि के आस–पास की वनभूमि के संरक्षण, संवर्धन एवं सुधार की योजना चाही गई है।

2. इस संबंध में अनुरोध है कि इस प्रस्ताव में आवेदक संस्थान ने कुल 301.96 हेक्टेयर वनभूमि चाही है। इस 301.96 हेक्टेयर वनभूमि में से 253.11 हेक्टेयर वन भूमि रिजर्ववायर बनाने के लिये, 25.61 हेक्टेयर वनभूमि 03 सड़को के निर्माण के लिये 23.24 हेक्टेयर अन्य कार्यों के लिये चाही गई है।

3. आवेदक संस्था द्वारा चाही गई वनभूमि से नीमच वनमण्डल के कक्ष क्रमांक 438, 439, 440, 441, 442, 443, 445, 446 एवं 447 की 1078 हेक्टेयर वनभूमि लगी हुई है।

4. आवेदक संस्था द्वारा चाही गई वनभूमि से संलग्न 1078 हेक्टेयर वनभूमि को 03 टुकड़ों में विभक्त कर इनके संरक्षण, संवर्धन एवं सुधार की योजना तैयार की गई है।

5. 1078 हेक्टेयर वनभूमि को 03 टुकड़ों में विभक्त कर इनके संरक्षण, संवर्धन एवं सुधार की योजना निम्नानुसार है :–

(i) प्रस्ताव में प्रस्तावित रिजर्ववायर से लगी 509 हेक्टेयर की वनभूमि है। इस वनभूमि में रिजर्ववायर की निकली मिट्टी को इस 509 हेक्टेयर वनक्षेत्र में फैलाकर संकटाप्रद पौधों के रोपण की रू. 282.80 लाख की योजना तकनीकी स्वीकृति उपरांत आपको प्रस्तुत की गई थी। इस रोपण योजना में प्रति हेक्टेयर 200 पौधें संकटाप्रद प्रजातियों के रोपित किये जाना प्रस्तावित है। राज्य वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर द्वारा इस क्षेत्र में 50 से 100 संकटाप्रद प्रजातियों के पौधें रोपित करने की अनुशंसा की गई है। इस क्षेत्र में मृदा की गहराई अत्यन्त कम है। इस क्षेत्र में प्रति हेक्टेयर 200 से अधिक पौधें लगाये जाना सम्भव नहीं है। अतः इस क्षेत्र में प्रति हेक्टेयर 100 पौधें संकटाप्रद प्रजातियों के तथा 100 पौधें प्रति हेक्टेयर स्थानीय प्रजातियों के लगाये जायेंगे। लगाये जाने वाले पौधों का विवरण निम्नानुसार है :–

Scanned with CamScanner

बीजा (Pterocarpus marsupium)	10180
करधई (Anogeissus pednula)	10180
चिरौल (Holoptelia integrifoli)	10180
अर्जुन (Terminalia arjuna)	10180
बेल (Aegle marmelo)	10180
नीम	16970
बबूल	16970
खैर	16960
योग–	**101800**

(ii) प्रस्ताव में प्रस्तावित पावर हाउस से गांधी सागर जलाशय की सीमा के साथ–साथ प्रस्तावित सड़क से पठार के बीच 426 हेक्टेयर की वनभूमि है। इस वनभूमि में अधिकांश भूमि तीव्र ढलान की है। तीव्र ढलान की भूमि होने के कारण इस वनक्षेत्र में प्रति हेक्टेयर 100 से अधिक पौधें लगाये जाना सम्भव नहीं है। अतः इस क्षेत्र में प्रति हेक्टेयर 50 पौधें संकटाप्रद प्रजातियों के तथा 50 पौधें प्रति हेक्टेयर स्थानीय प्रजातियों के लगाये जायेंगे। लगाये जाने वाले पौधों का विवरण निम्नानुसार है :–

बीजा (Pterocarpus marsupium)	4260
करधई (Anogeissus pednula)	4260
चिरौल (Holoptelia integrifoli)	4260
अर्जुन (Terminalia arjuna)	4260
बेल (Aegle marmelo)	4260
नीम	7100
बबूल	7100
खैर	7100
योग–	**42600**

(iii) प्रस्ताव में प्रस्तावित पावर हाउस से प्रस्तावित रिजर्ववायर तक प्रस्तावित सड़क के बीच 143 हेक्टेयर की वनभूमि है। इस वनभूमि में अधिकांश भूमि तीव्र ढलान की है। तीव्र ढलान की भूमि होने के कारण इस वनक्षेत्र में प्रति हेक्टेयर 100 से अधिक पौधें लगाये जाना सम्भव नहीं है। अतः इस क्षेत्र में प्रति हेक्टेयर 50 पौधें संकटाप्रद प्रजातियों के तथा 50 पौधें प्रति हेक्टेयर स्थानीय प्रजातियों के लगाये जायेंगे। लगाये जाने वाले पौधों का विवरण निम्नानुसार है :–

बीजा (Pterocarpus marsupium)	1430
करधई (Anogeissus pednula)	1430
चिरौल (Holoptelia integrifoli)	1430
अर्जुन (Terminalia arjuna)	1430
बेल (Aegle marmelo)	1430
नीम	2380
बबूल	2382
खैर	2388
योग–	**14300**

Scanned with CamScanner

क्षेत्र की संरक्षण योजना :—

प्रस्ताव में आवेदक संस्था द्वारा चाही गई वनभूमि के निकट नीमच वनमण्डल के कक्ष क्रमांक 438, 439, 440, 441, 442, 443, 445, 446 एवं 447 की 1078 हेक्टेयर वनभूमि लगी हुई है। इस वनभूमि को क्रमशः 509 हेक्टेयर, 426 हेक्टेयर तथा 143 हेक्टेयर में 03 टुकड़ों में बांटकर इनकी सुरक्षा चैनलिंग फेंसिंग के माध्यम से की जायेगी। इस वनक्षेत्र में रोपण भी किया जायेगा जिसके कारण क्षेत्र में चौकीदार भी नियमित रूप से कार्य करेंगे।

क्षेत्र की संवर्धन एवं सुधार की योजना :—

प्रस्ताव में आवेदक संस्था द्वारा चाही गई वनभूमि के निकट नीमच वनमण्डल के कक्ष क्रमांक 438, 439, 440, 441, 442, 443, 445, 446 एवं 447 की 1078 हेक्टेयर वनभूमि लगी हुई है। इस वनभूमि को क्रमशः 509 हेक्टेयर, 426 हेक्टेयर तथा 143 हेक्टेयर में 03 टुकड़ों में बांटकर इनमें रोपण कार्य किया जायेगा। क्षेत्र में कुल 158700 पौधें रोपित किये जायेंगे। क्षेत्र की सुरक्षा चैनलिंक फेंसिंग से की जायेगी जिससे क्षेत्र में अवैध चराई पर नियंत्रण होगा जिस कारण क्षेत्र में प्राकृतिक पुर्नउत्पादन में वृद्धि होगी।

509 हेक्टेयर रकबे में रू. 282.80 लाख की योजना पूर्व में ही आपको भेजी जा चुकी है। इस योजना में रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्या में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा रहा है, केवल पौधों की प्रजातियों में कुछ परिवर्तन किया गया है।

प्रकरण में 426 हेक्टेयर तथा 143 हेक्टेयर के टुकड़ों की संरक्षण, संवर्धन एवं सुधार योजना की प्रति संलग्न है।

संलग्नः—उपरोक्तानुसार।

वनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल, नीमच

पृठां. क्रमांक / मा0चि0 / 2023 / 2965

नीमच, दिनांक 15/5/23

प्रतिलिपि—

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन, वन संरक्षक, उज्जैन वृत्त, उज्जैन, मध्यप्रदेश की सूचनार्थ प्रेषित।

वनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल, नीमच

Scanned with CamScanner

आदेश द्वारा मनोज कुमार अग्रवाल (भा.व.से.) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, एवं पदेन वन संरक्षक उज्जैन वृत्त उज्जैन

:: आदेश ::

आदेश क्रमांक/मा.चि./2023/**32** उज्जैन, दिनांक **15-05-2023**

प्रकरण अन्तर्गत प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) म.प्र. भोपाल के पत्र क्रं. 1907–08 दिनांक 12–05–2023 से दिये गये निर्देशोनुसार प्रकरण अन्तर्गत भारत सरकार के पत्र दिनांक 01–05–2023 के बिन्दु क्रं. 02 मे उल्लेख अनुसार 07 वर्षीय रोपण योजना तैयार कर वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल नीमच द्वारा उनके पत्र क्रं. 2962 दिनांक 15–05–2023 से निम्नानुसार इस कार्यालय को प्रेषित की है।

क्रं.	परिक्षेत्र का नाम	कक्ष क्रं.	रकबा (हे. मे)	योजना की कुल राशि
01	रामपुरा	438, 439, 440, 446	426.00	13318761

अतः म.प्र. बुक ऑफ फायनेंशनल पॉवर 2022 वॉल्यूम-2 में वन विभाग को प्रदत्त अधिकार के बिंदु क्रमांक 20 में निहित एवं प्रदत्त वित्तीय अधिकारों का उपयोग करते हुए वनमण्डलाधिकारी, (सा.) वनमण्ड़ल, नीमच को उपरोक्त क्षेत्र मे तालिका मे दर्शित प्रस्तावित राशि की Provisional तकनीकी स्वीकृती निम्न शर्तों के अध्यधीन प्रदान की जाती है :-

1) समस्त कार्य स्वीकृत जॉब दरो निर्धारित नार्म्स एवं बजट प्रावधानो के अन्तर्गत ही कराये जावे। यदि किसी कार्य की जॉब दर स्वीकृत न हो तो, स्वीकृती हेतु दर प्रस्तुत की जावे।
2) कार्य की गुणवत्ता उत्तम हों।
3) क्षतिपूर्ति वनीकरण योजना हेतु म.प्र. शासन वन विभाग के ज्ञाप क्र./डी. /3202/3827/2001/10/3 दिनांक 7 दिसंबर 2001 एवं क्रमांक–एफ–03-11/2018 /10-2 दिनांक 14 मई 2019 से प्रसारित दिशा निर्देशों की कडाई से पालना सुनिश्चित करें।
4) क्षतिपूर्ति वनीकरण योजना हेतु मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) म.प्र. भोपाल के पत्र क्र. /572 दिनांक 07-02-2002 एवं 79 दिनांक 08-01-2018 में निहित निर्देशों की कडाई से पालना की जावें।
5) सामग्री क्रय करते समय म.प्र. भण्डार क्रय एवं सेवा उपार्जन अधिनियम 2015 की धारा 7, 9, 10 एवं 11 के भण्ड़ार नियमो का पालन अनिवार्य रूप से किया जावे। भण्डार क्रय नियमो के अन्तर्गत अनुसूची 'अ' मे सम्मिलित सामग्री म.प्र. लघु उद्योग निगम अथवा भारत सरकार के गर्वमेंट ई–मार्केट पोर्टल से ही क्रय की जावे। जो सामग्री राशि रू. 1.00 लाख के अन्दर तक की कोटेशन द्वारा प्राप्त की जानी है, उसे क्रय समिति से परीक्षण कराया जावे तथा अनुमोदन वनमण्ड़लाधिकारी द्वारा किया जावे।
6) फेसिंग पोल/जाली/तार/लोहा/स्टील एवं अन्य सभी क्रय सामग्रियों का सत्यापन उपवनमण्ड़लाधिकारी द्वारा किया जावेगा। क्रय तथा उपयोग की सामग्री स्टोर पंजी में स्टोर प्रभारी द्वारा अनिवार्यतः इंद्राज की जावेगी, जिसकी पुष्टि वन परिक्षेत्राधिकारी द्वारा की जावेगी।

7) प्रस्तावित कार्य का वनमण्ड़लाधिकारी/उपवनमण्ड़लाधिकारी/वन परिक्षेत्राधिकारी द्वारा कार्य अवधि में न्यूनतम 25% वनमण्ड़लाधिकारी, 50% उपवनमण्ड़लाधिकारी एवं वन परिक्षेत्राधिकारी द्वारा 100% स्थल निरीक्षण अनिवार्य किया जावेगा।

8) वनमण्ड़लाधिकारी यह सुनिश्चित करे कि, कार्य आयोजना में निहित प्रावधानों के विपरीत कोई कार्य न हो। यदि विचलन की आवश्यकता हो तो तदनुसार प्रस्ताव तैयार कर इस कार्यालय को भेजे तथा स्वीकृती उपरांत ही कार्य कराये जावे।

9) शासन तथा विभाग द्वारा समय-समय पर जारी प्रशासनिक, आर्थिक तथा तकनीकी निर्देशों के पालन की जवाबदारी वनमण्ड़लाधिकारी की रहेगी।

10) मौके पर कार्य करने वाले कर्मचारी के पास स्वीकृती की प्रति, माप पुस्तिका, प्रस्तावित माप डिजाईनिंग एवं मानचित्र उपलब्ध होना आवश्यक है।

11) वनमण्ड़लाधिकारी सुनिश्चित करे, कि पूर्व में प्रस्तावित क्षेत्र में प्रस्तावित कार्य तो नही कराया गया है। स्वीकृत क्षेत्र का स्थल परिवर्तन मान्य नही होगा। यदि कोई स्थल कार्य योग्य नही है तो उस स्थल पर कार्य नही कराया जाकर स्वीकृत राशि समर्पित कर अवगत कराया जावे।

12) स्वीकृत कार्य समाप्ति उपरांत, स्वीकृति अनुसार किये गये कार्यो का कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र मे इस कार्यालय को भेजा जावे।

13) मुख्यतः कार्य मजदूरो से कराया जावे, अत्यंत आवश्यक होने पर मजदूरो की उपलब्धता न होने पर ही यांत्रिकी साधन से कार्य कराया जावे।

14) स्थल पर रोपण होने पर मानक आकार के पौधे लगाये जावे।

15) रोपण मूल्यांकन हेतु प्रधान मुख्य वन संरक्षक, म.प्र. भोपाल के पत्र क्रं. 3410 एवं दिनांक 13–11–2013 के आधार पर रिकॉर्ड रखा जावे एवं वृक्षारोपण पंजी मे चस्पा किया जावे।

16) माप पुस्तिका पर कराये गए कार्यो की प्रविष्टि उपरांत वन परिक्षेत्राधिकारी, उपवनमण्ड़लाधिकारी के हस्ताक्षर लिये जावे।

17) किये गये कार्यो की प्रविष्टि कक्ष इतिहास, ई–ग्रीन वॉच पोर्टल, Plantation Monitoring System एवं MIS Portal मे समय–समय पर की जावे।

18) वनमण्ड़लाधिकारी प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि नियम 2018 (CAF Rules 2018) के निर्देशो का पालन सुनिश्चित करेगें।

19) स्वीकृत राशि व्यय की अधिकतम सीमा है। परियोजना स्थल पर व्यय मितव्ययता रखते हुए कार्य किये जावे।

20) श्रमिकों को श्रमायुक्त द्वारा निर्धारित देय न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित किया जावे।

21) क्षेत्र घेराव हेतु फैंसिंग पर Green Hedge अनिवार्य रूप से तैयार किये जावे।

22) योजना मे रोपित किये जाने वाले पौधो का जीवितता प्रतिशत 75 प्रतिशत से अधिक होना अनिवार्य है।

23) प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक 558 दिनांक 10.06.2020 द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन सुनिशचित करें।

24) भारत सरकार/जिला कलेक्टर द्वारा कोविड–19 की महामारी के संबध मे समय–समय पर जारी निर्देशो तथा Social Distancing एवं अन्य सावधानियों का पूर्ण पालन, कार्यो के क्रियान्वयन के दौरान सुनिशचित करें।

25) उपरोक्त प्राक्कलन Provisional तकनीकी स्वीकृती प्रदान की गई है। कार्य समाप्त होनें के उपरांत मौके पर वास्तव में कराये गए कार्य अनुसार तकनीकी प्राक्कलन आपके द्वारा प्रस्तुत किये जानें पर अंतिम रुप से तकनीकी स्वीकृती दी जावेगी।

(मनोज कुमार अग्रवाल)
भा.व.से.
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक

पृष्ठांकन क्रमांक/मा.चि./2023/**3212** उज्जैन, दिनांक **15-05-2023**

(1) महालेखाकार (ऑडिट) ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

(2) वनमण्ड़लाधिकारी (सा.) वनमण्डल नीमच की ओर उनके पत्र क्रं./2962 दिनांक 15—05—2023 के संदर्भ में सूचनार्थ अग्रेषित।

(मनोज कुमार अग्रवाल)
भा.व.से.
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक

आदेश द्वारा मनोज कुमार अग्रवाल (भा.व.से.) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, एवं पदेन वन संरक्षक उज्जैन वृत्त उज्जैन

:: आदेश ::

आदेश क्रमांक/मा.चि./2023/**31** उज्जैन, दिनांक **15-05-2023**

प्रकरण अन्तर्गत प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) म.प्र. भोपाल के पत्र क्रं. 1907–08 दिनांक 12–05--2023 से दिये गये निर्देशोनुसार प्रकरण अन्तर्गत भारत सरकार के पत्र दिनांक 01–05–2023 के बिन्दु क्रं. 02 मे उल्लेख अनुसार 07 वर्षीय रोपण योजना तैयार कर वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल नीमच द्वारा उनके पत्र क्रं. 2962 दिनांक 15–05–2023 से निम्नानुसार इस कार्यालय को प्रेषित की है।

क्रं.	परिक्षेत्र का नाम	कक्ष क्रं.	रकबा (हे. मे)	योजना की कुल राशि
01	रामपुरा	446, 447	143.00	8132764

अतः म.प्र. बुक ऑफ फायनेंशनल पॉवर 2022 वॉल्यूम-2 में वन विभाग को प्रदत्त अधिकार के बिंदु क्रमांक 20 में निहित एवं प्रदत्त वित्तीय अधिकारों का उपयोग करते हुए वनमण्डलाधिकारी, (सा.) वनमण्ड़ल, नीमच को उपरोक्त क्षेत्र मे तालिका मे दर्शित प्रस्तावित राशि की Provisional तकनीकी स्वीकृती निम्न शर्तो के अध्यधीन प्रदान की जाती है :-

1) समस्त कार्य स्वीकृत जॉब दरो निर्धारित नार्म्स एवं बजट प्रावधानो के अन्तर्गत ही कराये जावे। यदि किसी कार्य की जॉब दर स्वीकृत न हो तो, स्वीकृती हेतु दर प्रस्तुत की जावे।
2) कार्य की गुणवत्ता उत्तम हों।
3) क्षतिपूर्ति वनीकरण योजना हेतु म.प्र. शासन वन विभाग के ज्ञाप क्र./डी. /3202/3827/2001/10/3 दिनांक 7 दिसंबर 2001 एवं क्रमांक–एफ–03-11/2018 /10-2 दिनांक 14 मई 2019 से प्रसारित दिशा निर्देशों की कडाई से पालना सुनिश्चित करें।
4) क्षतिपूर्ति वनीकरण योजना हेतु मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) म.प्र. भोपाल के पत्र क्र. /572 दिनांक 07-02-2002 एवं 79 दिनांक 08-01-2018 में निहित निर्देशों की कडाई से पालना की जावें।
5) सामग्री क्रय करते समय म.प्र. भण्डार क्रय एवं सेवा उपार्जन अधिनियम 2015 की धारा 7, 9, 10 एवं 11 के भण्ड़ार नियमो का पालन अनिवार्य रूप से किया जावे। भण्डार क्रय नियमो के अन्तर्गत अनुसूची 'अ' मे सम्मिलित सामग्री म.प्र. लघु उद्योग निगम अथवा भारत सरकार के गर्वमेंट ई–मार्केट पोर्टल से ही क्रय की जावे। जो सामग्री राशि रू. 1.00 लाख के अन्दर तक की कोटेशन द्वारा प्राप्त की जानी है, उसे क्रय समिति से परीक्षण कराया जावे तथा अनुमोदन वनमण्ड़लाधिकारी द्वारा किया जावे।
6) फेसिंग पोल/जाली/तार/लोहा/स्टील एवं अन्य सभी क्रय सामग्रियों का सत्यापन उपवनमण्ड़लाधिकारी द्वारा किया जावेगा। क्रय तथा उपयोग की सामग्री स्टोर पंजी में स्टोर प्रभारी द्वारा अनिवार्यतः इंद्राज की जावेगी, जिसकी पुष्टि वन परिक्षेत्राधिकारी द्वारा की जावेगी।

7) प्रस्तावित कार्य का वनमण्ड़लाधिकारी/उपवनमण्ड़लाधिकारी/वन परिक्षेत्राधिकारी द्वारा कार्य अवधि में न्यूनतम 25% वनमण्ड़लाधिकारी, 50% उपवनमण्ड़लाधिकारी एवं वन परिक्षेत्राधिकारी द्वारा 100% स्थल निरीक्षण अनिवार्य किया जावेगा।

8) वनमण्ड़लाधिकारी यह सुनिश्चित करे कि, कार्य आयोजना में निहित प्रावधानों के विपरीत कोई कार्य न हो। यदि विचलन की आवश्यकता हो तो तदनुसार प्रस्ताव तैयार कर इस कार्यालय को भेजे तथा स्वीकृती उपरांत ही कार्य कराये जावे।

9) शासन तथा विभाग द्वारा समय-समय पर जारी प्रशासनिक, आर्थिक तथा तकनीकी निर्देशों के पालन की जवाबदारी वनमण्ड़लाधिकारी की रहेगी।

10) मौके पर कार्य करने वाले कर्मचारी के पास स्वीकृती की प्रति, माप पुस्तिका, प्रस्तावित माप डिजाईनिंग एवं मानचित्र उपलब्ध होना आवश्यक है।

11) वनमण्ड़लाधिकारी सुनिश्चित करे, कि पूर्व में प्रस्तावित क्षेत्र में प्रस्तावित कार्य तो नही कराया गया है। स्वीकृत क्षेत्र का स्थल परिवर्तन मान्य नही होगा। यदि कोई स्थल कार्य योग्य नही है तो उस स्थल पर कार्य नही कराया जाकर स्वीकृत राशि समर्पित कर अवगत कराया जावे।

12) स्वीकृत कार्य समाप्ति उपरांत, स्वीकृति अनुसार किये गये कार्यो का कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र मे इस कार्यालय को भेजा जावे।

13) मुख्यतः कार्य मजदूरो से कराया जावे, अत्यंत आवश्यक होने पर मजदूरो की उपलब्धता न होने पर ही यांत्रिकी साधन से कार्य कराया जावे।

14) स्थल पर रोपण होने पर मानक आकार के पौधे लगाये जावे।

15) रोपण मूल्यांकन हेतु प्रधान मुख्य वन संरक्षक, म.प्र. भोपाल के पत्र क्रं. 3410 एवं दिनांक 13–11–2013 के आधार पर रिकॉर्ड रखा जावे एवं वृक्षारोपण पंजी मे चस्पा किया जावे।

16) माप पुस्तिका पर कराये गए कार्यो की प्रविष्टि उपरांत वन परिक्षेत्राधिकारी, उपवनमण्ड़लाधिकारी के हस्ताक्षर लिये जावे।

17) किये गये कार्यो की प्रविष्टि कक्ष इतिहास, ई–ग्रीन वॉच पोर्टल, Plantation Monitoring System एवं MIS Portal मे समय–समय पर की जावे।

18) वनमण्ड़लाधिकारी प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि नियम 2018 (CAF Rules 2018) के निर्देशो का पालन सुनिश्चित करेगें।

19) स्वीकृत राशि व्यय की अधिकतम सीमा है। परियोजना स्थल पर व्यय मितव्ययता रखते हुए कार्य किये जावे।

20) श्रमिकों को श्रमायुक्त द्वारा निर्धारित देय न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित किया जावे।

21) क्षेत्र घेराव हेतु फैंसिंग पर Green Hedge अनिवार्य रूप से तैयार किये जावे।

22) योजना मे रोपित किये जाने वाले पौधो का जीवितता प्रतिशत 75 प्रतिशत से अधिक होना अनिवार्य है।

23) प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक 558 दिनांक 10.06.2020 द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें।

24) भारत सरकार/जिला कलेक्टर द्वारा कोविड–19 की महामारी के संबध मे समय–समय पर जारी निर्देशो तथा Social Distancing एवं अन्य सावधानियों का पूर्ण पालन, कार्यो के क्रियान्वयन के दौरान सुनिशचित करें।

25) उपरोक्त प्राक्कलन Provisional तकनीकी स्वीकृती प्रदान की गई है। कार्य समाप्त होनें के उपरांत मौके पर वास्तव में कराये गए कार्य अनुसार तकनीकी प्राक्कलन आपके द्वारा प्रस्तुत किये जानें पर अंतिम रुप से तकनीकी स्वीकृती दी जावेगी।

(मनोज कुमार अग्रवाल)
भा.व.से.
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक

पृष्ठांकन क्रमांक/मा.चि./2023/**3211** उज्जैन, दिनांक **15-05-2023**

(1) महालेखाकार (ऑडिट) ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

(2) वनमण्ड़लाधिकारी (सा.) वनमण्डल नीमच की ओर उनके पत्र क्रं./2962 दिनांक 15—05—2023 के संदर्भ में सूचनार्थ अग्रेषित।

(मनोज कुमार अग्रवाल)
भा.व.से.
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक

Compartment No.	438, 439, 440, 446	area	426 हेक्टेयर

रोपित किये जाने वाले पौधों का विवरण	
बीजा (Pterocarpus marsupium)	4260
करधई (Anogeissus pednula)	4260
चिरौल (Holoptelia integrifoli)	4260
अर्जुन (Terminalia arjuna)	4260
बेल (Aegle marmelo)	4260
नीम	7100
बबूल	7100
खैर	7100
	42600

क्षेत्र तैयारी वर्ष–योजना का प्रथम वर्ष
संख्या 100 पौधे प्रति हेक्टेयर

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमार्क
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
1	सर्वे एवं सीमांकन हे0	426	ha	0.45	gs0	192	जॉबदर
2	वृक्षारोपण क्षेत्र का घेराव 1.5 मी. ऊंची, 75 mm X 75 mm की मेस साइज, 12 गेज चेनलिंक फेंसिंग से करने पर, साथ ही सीमेंट के पोल 2.50 मी. के अंतराल पर लेने पर। इसके अतिरिक्त 6 मी/प्रति किलो की नुकीली तार की 03 लाईनों में भी लगाई जायेगी। सीमेंट पोल को 75 30 cm X 30 cm X 45 cm के गडढों में 1:2:4 के सीमेंट कांक्रीट से भरा जायेगा।	7186	Rmt	1.5	Rmt	10779	गणना के आधार पर
3	गड्ढा खुदाई हेतु स्टेकिंग एवं एलाइनमेंट	42600	गड्डे	2.5	प्रति हजार	107	जॉबदर
4	रोपण हेतु गडढ़ा खोदाई संख्या 45x45x45 cm.	42600	गड्डे	5	प्रति सैकड़ा	2130	जॉबदर
5	गड्ढ़ों में मिट्टी बदलने हेतु कय आयतन का 30 प्रतिशत	1164.58	घ0मी0	1.5	घ0मी0	1747	बाज़ार दर
6	गोबर खाद डालने हेतु कय आयतन का 15 प्रतिशत	582.289	घ0मी0	3	घ0मी0	1747	बाजार दर
7	उपजाऊ मिट्टी, स्थानीय मिट्टी एवं आर्गेनिक खाद का मिश्रण तैयार कर गडढ़ों में डालना	42600	गड्डे	1.5	प्रति सैकड़ा	639	जॉबदर
8	अन्य व्यय (निरीक्षण पथ, सूचना वोर्ड, पेंट, चूना आदि)					200	अनुमानित
	योग					17540	

उप वन मण्डलाधिकारी
उप वन मण्डल, मनासा

वन मण्डलाधिकारी
सामान्य वन मण्डल, नीमच

Scanned with CamScanner

क्र. कार्य का

योजना का द्वितीय वर्ष

(असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमार्क
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
1	रोपणी कार्य						
	प्रथम रोपण हेतु पौधा क्रय संख्या	42600	पौधे	0.03546	पौधा	1511	बाजार दर
	मृत पौधों को बदलने हेतु पौधा संख्या 20 प्रतिशत	8520	पौधे	0.03546	पौधा	302	बाजार दर
2	पौधों का परिवहन (संख्या)						
	ट्रक/ट्रैक्टर द्वारा	51120	पौधे	1.5	सैकड़ा	766.8	जॉबदर
	सिर बोझ द्वारा 1 कि0मी0	51120	पौधे	0.4	प्रति सैकड़ा	204.48	जॉबदर
4	रोपण						
	45x45x45 cm.	42600	गड्डे	1.8	प्रति सैकड़ा	766.8	जॉबदर
5	प्रथम निंदाई						
	पौधों में	42600	गड्डे	1.25	100	532.5	जॉबदर
6	द्वितीय निंदाई						
	पौधों में	42600	गड्डे	1	100	426	जॉबदर
7	तृतीय निंदाई						
	पौधों में	42600	गड्डे	1	100	426	जॉबदर
8	खाद एवं कीटनाशक दवा डलवाई	42600	गड्डे	0.6	प्रति सैकड़ा	255.6	जॉबदर
9	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
	6 मीटर चौड़ी	6000	mtr	3.35	किमी	20	जॉबदर
	3 मीटर चौड़ी	15000	mtr	2.25	किमी	34	जॉबदर
10	सुरक्षा 2 श्रमिक 9 माह		1x9			540	अनुमानित
12	अन्य व्यय (कीटनाशक खाद आदि क्रय)					200	अनुमानित
					योगः-	5985	

उप वन मण्डलाधिकारी
उप वन मण्डल, मनासा

वन मण्डलाधिकारी
सामान्य वन मण्डल, नीमच

Scanned with CamScanner

योजना का तृतीय वर्ष (असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमार्क
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
1	चेनलिंक फेंसिंग मरम्मत कार्य					80	अनुमानित
2	प्रथम निंदाई						
	पौधों में	42600		1.25	100	533	जॉबदर
3	द्वितीय निंदाई						
	पौधों में	42600		1	100	426	जॉबदर
4	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
	6 मीटर चौड़ी	6000	mtr	3.35	किमी	20	जॉबदर
	3 मीटर चौड़ी	15000	mtr	2.25	किमी	34	जॉबदर
5	सुरक्षा समिति द्वारा/ 3 सुरक्षा श्रमिक	12	माह			1080	अनुमानित
6	अन्य व्यय					200	अनुमानित
	योगः–					2372	

उप वन मण्डलाधिकारी
उप वन मण्डल, मनासा

वन मण्डलाधिकारी
सामान्य वन मण्डल, नीमच

Scanned with CamScanner

क्र.

(असिंचित)

योजना का चतुर्थ वर्ष

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमार्क
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
1	रोपणी व्यय (10 प्रतिशत पौधों के पुर्नरोपण हेतु)	4260		0.03546	पौधा	151	बाजार दर
2	पौधों का परिवहन (संख्या)						
	ट्रक / ट्रैक्टर द्वारा	4260		1.5	100	64	जॉबदर
	सिर बोझ द्वारा 1 कि0मी0	4260		0.4	सैकड़ा	17	जॉबदर
3	प्रथम निंदाई						
	पौधों में	42600		1.25	100	533	जॉबदर
4	द्वितीय निंदाई						
	पौधों में	42600		1	100	426	जॉबदर
5	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
	6 मीटर चौड़ी	6000	mtr	3.35	किमी	20	जॉबदर
	3 मीटर चौड़ी	15000	mtr	2.25	किमी	34	जॉबदर
6	सुरक्षा समिति द्वारा / 3 सुरक्षा	12	माह			1080	अनुमानित
7	अन्य व्यय (कीटनाशक खाद आदि					200	अनुमानित
	योग:–					2524	

उप वन मण्डलाधिकारी
उप वन मण्डल, मनासा

वन मण्डलाधिकारी
सामान्य वन मण्डल, नीमच

Scanned with CamScanner

(असिंचित)

क्षेत्र तैयारी वर्ष–योजना का पंचम वर्ष

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमार्क
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
1	चेनलिंक फेंसिंग मरम्मत कार्य (मीटर)					100	अनुमानित
2	प्रथम निंदाई						
	पौधों में	42600	40000	1.25	1.25/100	533	जॉबदर
4	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
	6 मीटर चौड़ी	6000	mtr	3.35	3.35 /किमी	20	जॉबदर
	3 मीटर चौड़ी	15000	mtr	2.25	2.25/किमी	34	जॉबदर
5	सुरक्षा समिति द्वारा/ 3 सुरक्षा श्रमिक	12	माह			1080	अनुमानित
						50	अनुमानित
6	अन्य व्यय					1766	
	योगः–						

उप वन मण्डलाधिकारी
उप वन मण्डल, मनासा

वन मण्डलाधिकारी
सामान्य वन मण्डल, नीमच

Scanned with CamScanner

योजना का षष्ठम वर्ष (असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमार्क
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
1	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
	6 मीटर चौड़ी	6000	mtr	3.35	किमी	20	जॉबदर
	3 मीटर चौड़ी	15000	mtr	2.25	किमी	34	जॉबदर
2	सुरक्षा समिति द्वारा/ 3 सुरक्षा	12	माह			1080	अनुमानित
3	अन्य व्यय					50	अनुमानित
	योगः–					1184	

योजना का सप्तम वर्ष (असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमार्क
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
1	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
	6 मीटर चौड़ी	6000	mtr	3.35	किमी	20	जॉबदर
	3 मीटर चौड़ी	15000	mtr	2.25	किमी	34	जॉबदर
2	सुरक्षा समिति द्वारा/ 3 सुरक्षा	12	माह			1080	अनुमानित
3	अन्य व्यय					50	अनुमानित
	योगः–					1184	

उप वन मण्डलाधिकारी
उप वन मण्डल, मनासा

वन मण्डलाधिकारी
सामान्य वन मण्डल, नीमच

Scanned with CamScanner

गोशवारा, आदर्श रोपण

वर्ष	प्रस्तावित (मानव दिवस)	6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की वृद्धि लेने पर गुणांक	प्रस्तावित मानव दिवस
प्रथम	17540	1	17540
द्वितीय	5985	1.06	6344
तृतीय	2372	1.1236	2666
चतुर्थ	2524	1.191	3007
पंचम	1766	1.2625	2230
षष्ठम	1184	1.3382	1584
सप्तम	1184	1.4185	1679
कुल योग			35049
Total amount (@ Rs. 380 per day)			13318761

उप वन मण्डलाधिकारी
उप वन मण्डल, मनासा

वन मण्डलाधिकारी
सामान्य वन मण्डल, नीमच

Scanned with CamScanner

Compartment No.	446, 447	area	143	हेक्टेयर

रोपित किये जाने वाले पौधों का विवरण	
बीजा (Pterocarpus marsupium)	1430
करधई (Anogeissus pednul)	1430
चिरौल (Holoptelia integrifoli)	1430
अर्जुन (Terminalia arjuna)	1430
बेल (Aegle marmelo)	1430
नीम	2380
बबूल	2382
खैर	2388
	14300

क्षेत्र तैयारी वर्ष–योजना का प्रथम वर्ष
संख्या 1000 पौधे प्रति हेक्टेयर

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमार्क
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
1	सर्वे एवं सीमांकन हे0	143	ha	0.45	हे0	64	जॉबदर
2	वृक्षारोपण क्षेत्र का घेराव 1.5 मी. ऊंची, 75 mm X 75 mm की मेस साइज, 12 गेज चेनलिंक फेंसिंग से करने पर, साथ ही सीमेंट के पोल 2.50 मी. के अंतराल पर लेने पर। इसके अतिरिक्त 6 मी/प्रति किलो की नुकीली तार की 03 लाईनों में भी लगाई जायेगी। सीमेंट पोल को 75 30 cm X 30 cm X 45 cm के गडढों में 1:2:4 के सीमेंट कांक्रीट से भरा जायेगा।	4833	Rmt	1.5	Rmt	7250	गणना के आधार पर
3	गड्ढा खुदाई हेतु स्टेकिंग एवं एलाइनमेंट	14300	गड्डे	2.5	प्रति हजार	36	जॉबदर
4	रोपण हेतु गडढ़ा खोदाई संख्या						
	45x45x45 cm.	14300	गड्डे	5	प्रति सैकड़ा	715	जॉबदर
5	गड्ढ़ों में मिट्टी बदलने हेतु कय आयतन का 30 प्रतिशत	390.926	घ0मी0	1.5	घ0मी0	586	बाजार दर
6	गोबर खाद डालने हेतु कय आयतन का 15 प्रतिशत	195.463	घ0मी0	3	घ0मी0	586	बाजार दर
7	उपजाऊ मिट्टी, स्थानीय मिट्टी एवं आर्गेनिक खाद का मिश्रण तैयार कर गडढ़ों में डालना	14300	गड्डे	1.5	प्रति सैकड़ा	214.5	जॉबदर
8	अन्य व्यय (निरीक्षण पथ, सूचना वोर्ड, पैंट, चूना आदि)					200	अनुमानित
	योग					9652	

उप वन मण्डलाधिकारी
उप वन मण्डल, मनासा

वन मण्डलाधिकारी
सामान्य वन मण्डल, नीमच

Scanned with CamScanner

क्र. कार्य

योजना का द्वितीय वर्ष (असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमार्क
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
1	रोपणी कार्य						
	प्रथम रोपण हेतु पौधा क्रय संख्या	14300	पौधे	0.03546	पौधा	507	बाजार दर
	मृत पौधों को बदलने हेतु पौधा संख्या 20 प्रतिशत	2860	पौधे	0.03546	पौधा	101	बाजार दर
2	पौधों का परिवहन (संख्या)						
	ट्रक/ट्रैक्टर द्वारा	17160	पौधे	1.5	सैकड़ा	257.4	जॉबदर
	सिर बोझ द्वारा 1 कि0मी0	17160	पौधे	0.4	प्रति सैकड़ा	68.64	जॉबदर
3	रोपण						
	45x45x45 cm.	14300	गड्डे	1.8	प्रति सैकड़ा	257.4	जॉबदर
4	प्रथम निंदाई						
	पौधों में	14300	गड्डे	1.25	100	178.75	जॉबदर
5	द्वितीय निंदाई						
	पौधों में	14300	गड्डे	1	100	143	जॉबदर
6	तृतीय निंदाई						
	पौधों में	14300	गड्डे	1	100	143	जॉबदर
7	खाद एवं कीटनाशक दवा डलवाई	14300	गड्डे	0.6	प्रति सैकड़ा	85.8	जॉबदर
8	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
	6 मीटर चौड़ी	6000	mtr	3.35	किमी	20	जॉबदर
	3 मीटर चौड़ी	15000	mtr	2.25	किमी	34	जॉबदर
9	सुरक्षा 2 श्रमिक 9 माह		1x9			540	अनुमानित
10	अन्य व्यय (कीटनाशक खाद आदि क्रय)					200	अनुमानित
					योगः–	2536	

उप वन मण्डलाधिकारी
उप वन मण्डल, मनासा

वन मण्डलाधिकारी
सामान्य वन मण्डल, नीमच

Scanned with CamScanner

योजना का तृतीय वर्ष (असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमार्क
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
1	चेनलिंक फेंसिंग मरम्मत कार्य					80	अनुमानित
2	प्रथम निंदाई						
	पौधों में	14300		1.25	100	179	जॉबदर
3	द्वितीय निंदाई						
	पौधों में	14300		1	100	143	जॉबदर
4	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
	6 मीटर चौड़ी	6000	mtr	3.35	किमी	20	जॉबदर
	3 मीटर चौड़ी	15000	mtr	2.25	किमी	34	जॉबदर
5	सुरक्षा समिति द्वारा/ 3 सुरक्षा श्रमिक	12	माह			1080	अनुमानित
6	अन्य व्यय					200	अनुमानित
	योगः–					1736	

उप वन मण्डलाधिकारी
उप वन मण्डल, मनासा

वन मण्डलाधिकारी
सामान्य वन मण्डल, नीमच

Scanned with CamScanner

(असिंचित)

योजना का चतुर्थ वर्ष

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमार्क
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
1	रोपणी व्यय (10 प्रतिशत पौधों के पुर्नरोपण हेतु)	1430		0.03546	पौधा	51	बाजार दर
2	पौधों का परिवहन (संख्या)						
	ट्रक/ट्रैक्टर द्वारा	1430		1.5	100	21	जॉबदर
	सिर बोझ द्वारा 1 कि0मी0	1430		0.4	सैकड़ा	6	जॉबदर
3	प्रथम निंदाई						
	पौधों में	14300		1.25	100	179	जॉबदर
4	द्वितीय निंदाई						
	पौधों में	14300		1	100	143	जॉबदर
5	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
	6 मीटर चौड़ी	6000	mtr	3.35	किमी	20	जॉबदर
	3 मीटर चौड़ी	15000	mtr	2.25	किमी	34	जॉबदर
6	सुरक्षा समिति द्वारा/ 3 सुरक्षा	12	माह			1080	अनुमानित
7	अन्य व्यय (कीटनाशक खाद आदि					200	अनुमानित
	योगः–					1733	

उप वन मण्डलाधिकारी
उप वन मण्डल, मनासा

वन मण्डलाधिकारी
सामान्य वन मण्डल, नीमच

Scanned with CamScanner

क्षेत्र तैयारी वर्ष–योजना का पंचम वर्ष (असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमार्क
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
1	चेनलिंक फेंसिंग मरम्मत कार्य (मीटर)					100	अनुमानित
2	प्रथम निंदाई						
	पौधों में	14300	40000	1.25	1.25/100	179	जॉबदर
4	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
	6 मीटर चौड़ी	6000	mtr	3.35	3.35 /किमी	20	जॉबदर
	3 मीटर चौड़ी	15000	mtr	2.25	2.25/किमी	34	जॉबदर
5	सुरक्षा समिति द्वारा/ 3 सुरक्षा श्रमिक	12	माह			1080	अनुमानित
6	अन्य व्यय					50	अनुमानित
	योगः–					1413	

उप वन मण्डलाधिकारी
उप वन मण्डल, मनासा

वन मण्डलाधिकारी
सामान्य वन मण्डल, नीमच

Scanned with CamScanner

योजना का षष्ठम वर्ष

(असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमार्क
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
1	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
	6 मीटर चौड़ी	6000	mtr	3.35	किमी	20	जॉबदर
	3 मीटर चौड़ी	15000	mtr	2.25	किमी	34	जॉबदर
2	सुरक्षा समिति द्वारा/ 3 सुरक्षा	12	माह			1080	अनुमानित
3	अन्य व्यय					50	अनुमानित
	योगः–					1184	

योजना का सप्तम वर्ष

(असिंचित)

क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा		दर प्रति ईकाई (मा.दि.)		कुल मानव दिवस	रिमार्क
		मात्रा	इकाई	मानव दिवस	इकाई		
1	आन्तरिक अग्नि सुरक्षा लाईन						
	6 मीटर चौड़ी	6000	mtr	3.35	किमी	20	जॉबदर
	3 मीटर चौड़ी	15000	mtr	2.25	किमी	34	जॉबदर
2	सुरक्षा समिति द्वारा/ 3 सुरक्षा	12	माह			1080	अनुमानित
3	अन्य व्यय					50	अनुमानित
	योगः–					1184	

उप वन मण्डलाधिकारी
उप वन मण्डल, मनासा

वन मण्डलाधिकारी
सामान्य वन मण्डल, नीमच

Scanned with CamScanner

गोश्वारा, आदर्श रोपण

वर्ष	प्रस्तावित (मानव दिवस)	6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की वृद्धि लेने पर गुणांक	प्रस्तावित मानव दिवस
प्रथम	9652	1	9652
द्वितीय	2536	1.06	2689
तृतीय	1736	1.1236	1950
चतुर्थ	1733	1.191	2065
पंचम	1413	1.2625	1783
षष्ठम	1184	1.3382	1584
सप्तम	1184	1.4185	1679
कुल योग			**21402**
Total amount (@ Rs. 380 per day)			**8132764**

उप वन मण्डलाधिकारी
उप वन मण्डल, मनासा

वन मण्डलाधिकारी
सामान्य वन मंडल, नीमच

Scanned with CamScanner

Annexure-B

AGENCY COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 16-05-2023

Agency Name.	GREENKO ENERGIES PRIVATE LIMITED
Application No.	56116943746
MoEF/SG File No.	8-18/2021-FC
Location.	MADHYA PRADESH
Address.	Plot no-1071, Road No-44, Jubilee Hills, HyderabadHyderabad
Amount(in Rs)	25591525/-

Amount in Words :Two Crore Fifty-Five Lakh Ninety-One Thousand Five Hundred and Twenty-Five Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	MADHYA PRADESH CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	1507656116943746 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre,21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 16-05-2023

Agency Name.	GREENKO ENERGIES PRIVATE LIMITED
Application No.	56116943746
MoEF/SG File No.	8-18/2021-FC
Location.	MADHYA PRADESH
Address:	Plot no-1071, Road No-44, Jubilee Hills, Hyderabad Hyderabad
Amount(in Rs)	25591525/-

Amount in Words :Two Crore Fifty-Five Lakh Ninety-One Thousand Five Hundred and Twenty-Five Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	MADHYA PRADESH CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	1507656116943746 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

Note:After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date and reference id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank , epurse@unionbankofindia.bank, ubin0903710@unionbankofindia.bank

UTR NO: ICICR52023051600877962

ICICI BANK LIMITED JUBILEE HILLS BRANCH-00
16 MAY 2023
RECEIVED